26/6/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि न्याय हित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार मूल वाद को पुनः दर्ज कर नंबर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मूल वाद रेस्टोर कर पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner